19

मंत्रालय की राजभाषा संबंधी गतिविधियां

राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय में वर्ष 1973 में एक हिन्दी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। जैसे-जैसे मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा, उसके साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण हिन्दी अनुभाग गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई। अतः वर्ष 1973 में स्थापित हिन्दी प्रकोष्ठ को वर्ष 1976 में हिन्दी अधिकारी के अधीन एक पृथक हिन्दी अनुभाग का रूप प्रदान किया गया।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी अधिनियमों, नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में मंत्रालय द्वारा राजभाषा संबंधी निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा हैः

कर्मचारियों के लिए टिप्पण–आलेखन नकद पुरस्कार योजना

राजभाषा विभाग द्वारा चालू की गई हिन्दी टिप्पण-आलेखन की नकद पुरस्कार योजना को वर्ष 1984 में मंत्रालय में लागू किया गया। कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में मूल टिप्पण और आलेखन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में हिन्दी अनुभाग द्वारा यह पुरस्कार योजना चलाई जाती है। योजना का क्षेत्र, पात्रता, अवधि, पुरस्कार, पुरस्कार देने के लिए मापदंड, मूल्यांकन समिति से संबंधित जानकारी तथा हिन्दी में किए गए काम का ब्यौरा रखने वाला प्रपत्र **परिशिष्ट-19डी** में दिया गया है।

हिन्दी पखवाड़ा और उसके दौरान आयोजित की जाने वाली प्रोत्साहन प्रतियोगिताएं

मंत्रालय में प्रतिवर्ष सितम्बर मास के दौरान हिन्दी सप्ताह अथवा हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाता है और इसके दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्थल पर हिन्दी टिप्पण-आलेखन की लघु प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त लिपिकों के लिए हिन्दी टंकण की एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। हिन्दी दिवस अर्थात 14 सितम्बर को हिन्दी सप्ताह/पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया जाता है तथा इस दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है।

हिन्दी कार्यशालाएं

मंत्रालय में कर्मचारियों को हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण का प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष में तीन बार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इन कार्यशालाओं में मंत्रालय के कार्य से संबंधित प्रायः सभी विषयों को हिन्दी में करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कार्यशालाओं का इस प्रकार आयोजन किया जाता है कि वर्ष के दौरान प्रत्येक सहायक/अनुसंधान सहायक/उच्च श्रेणी लिपिक को कम से कम एक बार अवश्य ही प्रशिक्षण दिया जा सके। इस प्रकार मंत्रालय के सभी डीलिंग हैंडों को इन कार्यशालाओं में हिन्दी में काम करने का कई बार प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप उनकी हिन्दी में कार्य करने की क्षमता में दिन-प्रति-दिन विकास होता गया है।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट

प्रत्येक तिमाही में मंत्रालय के सभी अनुभागों द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट हिन्दी अनुभाग को **परिशिष्ट-19इ** में दिए गए प्रोफार्मा में भरकर भेजी जाती है। हिन्दी अनुभाग मंत्रालय के सभी अनुभागों द्वारा भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्ट को समेकित कर राजभाषा विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजता है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम

सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। किन्तु अभी भी शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। संसद

द्वारा पारित राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुपालन में राजभाषा हिन्दी के प्रसार और विकास की गति बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है और उसी के अनुसार हिन्दी अनुभाग द्वारा मंत्रालय के लिए भी एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है और उसे सभी अनुभागों को इस अपेक्षा के साथ भेजा जाता है कि सभी अनुभाग उनसे संबंधित मदों पर आवश्यक कार्रवाई करें ताकि कार्यक्रम में की गई सभी सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। संसदीय कार्य मंत्रालय का वर्ष 2003-2004 के लिए वार्षिक कार्यक्रम **परिशिष्ट-19एफ** में दिया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। मंत्रालय में अधिकारियों की संख्या सीमित होने के कारण सभी अनुभाग अधिकारियों तथा इससे ऊपर के अधिकारियों को इसका सदस्य बनाया गया है। इस समिति को सामान्यतः निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैः

1 हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और इस बारे में कार्रवाई करना।
2 तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा तथा इसे समय पर भेजना सुनिश्चित करना।
3 कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा करके यथावश्यक सुझाव देना।
4 हिन्दी, हिन्दी टंकण और आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त संख्या में कर्मचारी भेजना सुनिश्चित करना।

इस समिति की प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाता है।

हिन्दी सलाहकार समिति

सरकार की राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने तथा मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य

मंत्री की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। संसदीय कार्य मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति के गठन संबंधी आदेश को राजभाषा विभाग द्वारा अनुमोदित किए जाने पर हिन्दी सलाहकार समिति का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1984 में किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त सरकारी कार्यों के लिए हिन्दी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों द्वारा शासित किया जाता है।